अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

इन्द्राज आदि **बनाम** आसा राम आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 58 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/198

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.04.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया है कि चक 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाए रखे जाने बाबत आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि घरेलू बंटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक सालम–सालम, किला नम्बर 22 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.164 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर हम प्रतिवादीगण का पिछले कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का किला नम्बर 4 पर कब्जा काश्त नहीं है और वह अप्रार्थीगण के विरूद्व कोई भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में चक 1 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 को लेकर विवाद है। मौका पर दोनों पक्ष किसी भी समय लडाई–झगडा कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते है। इसलिए विवादित भूमि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 को रिसीवर किया जाना उचित समझते है। अतः प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.06.2024 को निरस्त किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विवादित भूमि राजस्व ग्राम 1 एफसी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि मय खडी फसल को कुर्क करता हूं तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर को उक्त विवादित भूमि का रिसीवर नियुक्त करता हुं। रिसीवर के नाम आदेश जारी हो, कि वह तत्काल इस विवादित भूमि का कब्जा बतौर रिसीवर प्राप्त कर, खडी फसल की नियमानुसार निलाभी करवाकर, राशि राजकोष में जमा करवाकर न्यायालय को सूचित करे एंव आगामी आदेश तक इस विवादित भूमि की काश्त आदि की नियमानुसार व्यवस्था करे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)** **श्री करणपुर**	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)